कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल छपरा 2

पत्रांक 933 छपरा/दिनांक 28/05/2021

सेवा में,

श्री लालबाबु सिंह,
ग्राम – पचनेरूई, पो0 – ताली,
थाना – गुठनी, जिला – सिवान।

विषयः— मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अन्तर्गत परसा तिलकार PMGSY से केशरी बाजार तक पथ का अनुरक्षण कार्य नहीं कराये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना हैं कि विषयांकित पथों के निर्माण कार्य आपके द्वारा कराया गया है। एकरारनामा के अनुसार पथ का पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य भी आपके द्वारा किया जाना था। परन्तु आपके द्वारा उक्त पथों के पंचवर्षीय अनुरक्षण का कार्य नहीं कराया जा रहा है, जो एकरारनामा के शर्तो का उल्लधंन है।

अतः आपको अंतिम बार स्मारित किया जाता हैं कि आप उक्त पथों का पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य तीन दिनों के अंदर कर इस पथ से संबंधित विपत्र अपने सहायक अभियंता के माध्यम से प्रमंडलीय कार्यालय में समर्पित करें अन्यथा आपके एकरारनामा को विखंडित कर आपके निबंधन को डिबार करने की अनुशंसा कर दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वंय जिम्मेवार होगें।

विश्वासभाजन

28/5/21

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, छपरा 2.

AE 28/5/21

ज्ञापांक 933 छपरा/दिनांक 28/05/2021

प्रतिलिपि – अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु समर्पित।

28/5/21

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, छपरा 2.

AEP 28/5/21

Scanned with CamScanner

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल छपरा 2

पत्रांक 1088 छपरा/दिनांक 15-06-2021

सेवा में,

श्री लालबाबू सिंह,
ग्राम – पचनेरूई, पो0 – ताली,
थाना – गुठनी, जिला – सिवान।

विषयः– मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (S.C. मद) अन्तर्गत परसा तिलकार PMGSY पथ से केशरी बाजार तक पथ का अनुरक्षण कार्य नहीं कराये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना हैं कि आपके द्वारा अनुरक्षण का कार्य संतोषजनक नहीं कराया गया है, जिस कारण आपके निबंधन को डिबार सूची में डालने की अनुशंसा कर दी गयी है। पुनः आपको एक सप्ताह का समय दिया जाता हैं कि आप उक्त पथ का कार्य पूर्ण कराकर अपने कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता के माध्यम से कराये गये कार्य का प्रतिवेदन समर्पित करें ताकि डिबार सूची से आपका नाम विलोपित करने की अनुशंसा की जा सकें।

अतः आपको अंतिम बार स्मारित किया जाता हैं कि यदि आपके द्वारा एक सप्ताह के अंदर विषयांकित पथ का अनुरक्षण कार्य पूर्ण नहीं कराया जायेगा तो आपके एकरारनामा को विखंडित कर, जमानत की राशि को जब्त करते हुए आपके निबंधन को काली सूची में डालने की अनुशंसा कर दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वंय जिम्मेवार होगें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन

15/6/21

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, छपरा 2.

Scanned with CamScanner